न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 23/2016/एलआर

रामनाथ पिता रूपनाथ नाथ
निवासी जवाहरपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
2. ग्राम पंचायत अडाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अडाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़
दिनांक 06.05.2004 क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6(7)04/764

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक – 15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत अडाणा एवं तहसीलदार राशमी की अनुशंषा पर मौजा जवाहपुरा की आराजी नम्बर 94, 183, 200, 210, 212, 214 ,218 मी, 227, 229, 231 मी. 230/242 की आराजीयात को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया व उक्त आदेश के साथ ही आराजी नम्बर 230/242 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा मे से 1 बीघा जो अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे चली आ रही है व अपीलान्ट ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चहा आ रहा है एवं अपीलान्ट के विरूद्ध नियमित रूप से अतिक्रमण की कार्यवाही की जाती रही है, फिर भी अपीलान्ट व उसके पिता रूपनाथ नियमित रूप से जुर्माना राशि अदा कर उक्त आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि बडर नही होकर काबिल काश्त है जिससे उक्त भूमि चरागाह हेतु उपर्युक्त नही होकर कृषि हेतु आंवटन योग्य थी फिर भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का निर्णय व आदेश पारित

कर आदेश की पालना मे नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

2. मौजा जवाहरपुरा की आराजी नम्बर 230/242 मे से 1 बीधा भूमि अपीलान्ट काफी अर्से से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। फिर भी पटवारी हल्का ने अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 230/242 मे से 1 बीघा जो भूमि जो काबिल काश्त भूमि थी व अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे चली हा रही है। वक्त आरक्षित उक्त भूमि खाली नही थी। अपीलान्ट को उक्त आराजीयात से बेदखल किये बगैर तहसीलदार राशमी ने उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे गलत अनुशंषा की है व सम्बन्धित ग्राम पंचायत ने भी उक्त आराजीयात को चारागाह मे दर्ज किये जाने हेतु अपनी अनुशंषा पारित कर दी व उसी के आधार पर अधीनस्थ जिला कलेक्टर चित्तौडगढ ने उक्त अनुशंषा को सही मानते हुए मौजा जवाहरपुरा की अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 230/242 का सम्पूर्ण रकबा चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। वक्त आरक्षण विवादित आराजीयात अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे चली आ रही थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजीयात से बेदखल किये बगैर ह गलत रूप से चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते है। विवादित आराजीयात अपीलान्टगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सूचना दिये बगैर गलत रूप से आरक्षित कर दी गयी जिसकी अपीलान्टगण को किसी प्रकार से जानकारी नही थी। अपील अपीलान्ट बिना किसी विलम्ब के बाद जानकारी अन्दर मियाद पेश है। फिर भी विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा मौजा जवाहरपुरा की आराजी नम्बर 230/242 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा मे से 1 बीघा के सम्बन्ध मे पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06/05/2004 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि जिला कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत भूमि को चारागाह मे परिवर्तित करते समय तथा पंचायत द्वारा अभिशंषा करते समय अपीलान्ट का उक्त भूमि पर लम्बे समय से कब्जा काश्त है। फिर भी नियमन करने की

बजाय उक्त बिलानाम काबिल काश्त भूमि को चारागाह मे परिवर्तित कर दिया गया जो न्यायोचित नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बयान किया कि जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत की अभिशंषा पर पशुओ के चरने हेतु उक्त भूमि को चारागाह मे परिवर्तित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई, जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा ग्राम पंचायत की अभिशंषा पर प्रश्नगत भूमि को चारागाह हेतु सेटअपार्ट किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी हो जाने मात्र से उसे कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। ऐसी सूरत मे जबकि प्रश्नगत भूमि चारागाह मे परिवर्तित हो चुकी है, धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण न तो नियमन होने योग्य है तथा न ही अन्य किसी तरीके से अपीलान्ट प्रश्नगत भूमि प्राप्त करने की पात्रता ही रखता है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ का आदेश यथावत रखा जाना न्यायोचित है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6(7)04/764 दिनांक 06/05/2004 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ